प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 11.11.2025

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 10.11.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त शादाब पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला नन्हे गढी गांव जलालाबाद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से सेक्टर-39 नोएडा से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल नोएडा सेक्टर-39 से चोरी की थी। मैं इस मोटरसाइकिल को बिना नम्बर प्लेट लगाये चला रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शादाब पुत्र इरशाद निवासी मौहल्ला नन्हे गढी गांव जलालाबाद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से नोएडा से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में नोएडा में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व पूर्व में थाना मुरादनगर पर चोरी का 01 अभियोग व पॉक्सो अधिनियम 01 अभियोग पंजीकृत है (कुल पंजीकृत अभियोग- 04), अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 28.10.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त मुज्जफर उर्फ मुजफर पुत्र जाबिर निवासी मुजफ्फर नगर व अन्य द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाना व उसके साथ गलत काम करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2)65(1) BNS व ¾(2) पोक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया व थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 01.11.2025 को अभियोग में वांछित अभियुक्त मुज्जफर उर्फ मुजफर पुत्र जाबिर निवासी म0न0 6 कयामपुर दूधली जनपद मुजफ्फर नगर को अन्तर्गत धारा 137(2)65(1) BNS व ¾(2) पोक्सो व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तत्पश्चात विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान के आधार पर अन्य अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोग में धारा 137(2)65(1) bns व ¾(2) पोक्सो का लोप कर धारा -16/17 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है व अन्य अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.11.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी हुसैनाबाद बनवाडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 24 वर्ष तथा 2. रिजवान पुत्र नौशाद निवासी हुसैनाबाद बनवाडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र के हल्का चोकी बंथला इन्डेन गैस प्लान्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गण ने पूछताछ करने बताया कि अभियुक्त मुज्जफर उर्फ मुजफर उपरोक्त अपनी दोस्त को लेकर हमारे पास आया था जिसे हमने कमरे मे बन्द कर दिया था, कमरे में मुज्जफर उर्फ मुजफर ने उसके साथ गलत काम किया था हम पुलिस से छिपते छिपाते घूम रहे थे कि आपने हमें पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.नईम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी हुसैनाबाद बनवाडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 24 वर्ष
2.रिजवान पुत्र नौशाद निवासी हुसैनाबाद बनवाडा थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध चरस की तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.10.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अवैध चरस की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र नन्हे खाँ निवासी ग्राम जलालनगर थाना बिसारतगंज जिला बरेली उम्र करीब 26 वर्ष 2. आसिफ पुत्र मुस्तजाफ खान निवासी जेजे कालोनी के ब्लाक न्यू सीलमपुर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष से 210 ग्राम अवैध चरस व कुल 14,32,500/- रुपये बरामद कर थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया

था। जिसमें अन्य 03 वांछित अभियुक्तगण 1.पिन्टू पुत्र नामालूम निवासी किराये का मकान नियर जामा मस्जिद न्यू सीलमपुर दिल्ली 2.रामअवतार पुत्र नामालूम निवासी बिनावर जनपद बदायूं 3.लालू पुत्र नामालूम निवासी बिनावर जनपद बदायूं थे।

आज दिनांक 11.11.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त लालू उर्फ लल्लू पुत्र सियाराम निवासी ग्राम मलगांव थाना बिनावर जनपद बदायूं को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा-8/20/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त लालू ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं चरस को बेचने व खरीदने का कार्य करता हूँ। और इमरान और आसिफ मेरे यहाँ से ही चरस खरीदते थे। आज मैं यहाँ आया था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

लालू उर्फ लल्लू पुत्र सियाराम निवासी ग्राम मलगांव थाना बिनावर जनपद बदायूं उम्र करीब 45 वर्ष

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.पिन्टू पुत्र नामालूम निवासी किराये का मकान नियर जामा मस्जिद न्यू सीलमपुर दिल्ली।

2.रामअवतार पुत्र नामालूम निवासी बिनावर जनपद बदायूं।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस द्वारा लूट/स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त व 2 अभियुक्ता गिरफ्तार , कब्जे से पीली धातु व 4570 रूपये नगद बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 26.10.2025 को वादी श्री नवनीत कुमार प्रभाकर पुत्र श्री उदयवीर सिंह निवासी म0नं0 269 गोविन्दपुरम ने मोटर साईकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की चैन झपट कर भाग जाने, दिनांक 30.10.25 को वादी श्री ब्रह्म सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी G 35 गोविन्दपुरम गाजियाबाद ने अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल फोन छीन कर भाग जाने तथा दिनांक 05.11.2025 को वादिया श्रीमति प्रतिभा मिश्रा सहगल निवासी राजनगर गाजियाबाद नें 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के गले से सोने की चेन खींचकर भाग जाने के संबंध में थाना कविनगर पर तहरीर दी जिस पर तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरणः-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों के अथक प्रयास, लोकल इनपुट, सीसीटीवी कैमरे व मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 11.11.2025 को अभियुक्तगण 1. रामा उर्फ

राहुल पुत्र हेमचन्द्र 2. मोन्टी पुत्र राजेश कुमार 3. चिन्टू पुत्र बिजेन्द्र उपरोक्त व अभियुक्ता 1. मन्जू रानी पत्नी जगदीश सिंह 2. रजनी पत्नी प्रशान्त को वाटर सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के पास सिकरोडा की तरफ जाने वाले रास्ते से चौकी क्षेत्र गोविन्दपुरम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त रामा उर्फ राहुल ने पूछताछ में बताया कि सर मैने अपने दोस्त दिनेश के साथ मिलकर 05-06 दिन पहले हमने संजयनगर अस्पताल यूटर्न के आगे एक महिला जो सुबह के समय अपने बच्चे के साथ साइकिल से जा रही थी हम दोनो ने बाईक से उसके गले से चैन खीच ली थी यह जो दूसरा टुकड़ा जो मेरे पास है करीब 15 -16 दिन पहले सुबह लगभग 08.00 बजे गोविन्दपुरम में रोड पर घूम रहे एक व्यक्ति के गले से झपट्टा मारकर चैन छीनी थी और भाग गये थे और बाकी का टुकड़ा मोनू के पास है तथा यह गोली मुझसे मिली है यह मेरे और चिन्टू द्वारा SWISS होटल के पास से एक महिला से करीब 01 महीने पहले मंगलसूत्र छीना था उसी में से मैंने अपने हिस्से में आये मंगल सूत्र व अन्य लूट के माल की गोलियां बना दी थी यह उनमे से ही एक गोली है तथा बरामद रूपयो के बारे में पूछने पर बताया कि हमने एक मोबाइल गुरूवार बाजार गोविन्दपुरम से एक बुजुर्ग व्यक्ति से करीब 17 – 18 दिन पहले छीना था उस मोबाइल को हमने राह चलते व्यक्ति को 5000/- रू0 में बेच दिया था। लूट से जो रूपये/ गहने मिलते है, उसे अपनी बहनों को दे देता हूँ तथा मेरी जेब से जो रूपये बरामद हुए है उसी मोबाइल के है और बाकी रूपये मैने अपनी मौज मस्ती व अपनी महिला मित्रों पर खर्च कर दिये थे सबने एक स्वर में अभियुक्त रामा उर्फ राहुल उपरोक्त की बात का समर्थन करते हुये बताया कि हम लोग का एक गैग हैं हम सभी लोग मिलकर घटना करते हैं और रामा और श्यामा व मोनू के बताये अनुसार अधिकतर घटना सुबह के समय रोड़ पर घूम रहे लोगो के साथ करते हैं तथा आज भी श्यामा और मोनू घटना पर निकले हैं पंकज थोड़ी देर पहले यहाँ से कुछ माल को बेचने के लिये निकल गया हैं।

<u>बरामदगी-</u>

पीली धातु की अलग- अलग चैन के 4 टुकड़े,
पीली धातु की तीन गोलियाँ
4570 रू0 नगद

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

1. रामा उर्फ राहुल पुत्र हेमचन्द्र निवासी म0नं0 211 अम्बेडकर मूर्ति के पास दौलतपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
2. मोन्टी पुत्र राजेश कुमार निवासी म0नं0 127 मुकट वाली दुकान के पास में दौलतपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष
3. चिन्टू पुत्र बिजेन्द्र निवासी म0न0 127 म0नं0 127 मुकट वाली दुकान के पास में दौलतपुरा थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष
4. मन्जू रानी पत्नी जगदीश सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी म0नं0 211 दौलतपुरा थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष
5. रजनी पत्नी प्रशान्त उम्र करीब 35 वर्ष निवासी म0नं0 211 दौलतपुरा कुँए के पास थाना कोतवाली गाजियाबाद, हाल पता म0नं0 816 संतोष हॉस्पिटल के पीछे पुराना बस अड्डे के पास थाना सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1. **<u>रामा उर्फ राहुल पुत्र हेमचन्द्र</u>**

- कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 11 मुकदमा, NDPS का 1 मुकदमा, आबकारी के 2 मुकदमें चोरी का 1 मुकदमा, बलवा का 01 मुकदमा, नम्बर प्लेट का नं0 चेन्ज करने के सम्बन्ध में 1 मुकदमा व आर्मस एक्ट के 2 मुकदमें

2. **मोन्टी पुत्र राजेश कुमार**
   - कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 3 मुकदमा
3. **चिन्टू पुत्र बिजेन्द्र**
   - कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 3 मुकदमा
4. **मन्जू रानी पत्नी जगदीश सिंह**
   - कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 3 मुकदमा
5. **रजनी पत्नी प्रशान्त**
   - कमि0 गाजियाबाद में लूट/ स्नैचिंग के 3 मुकदमा

गिरफ्तार करने वाले टीमः-
थाना कविनगर पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी से फ्लैट का वैनामा कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 04.02.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी दिनेश कुमार राणा ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. महेन्द्र सबरवाल उर्फ टोनी निवासी फ्लैट न0-12 डी पॉकेट बी0-2 मयुर विहार फेस-3 दिल्ली-96 व 2. गरिमा अग्रवाल पता अज्ञात द्वारा वादी को फ्लैट बेचने के नाम पर फ्लैट के कूटरचित दस्तावेज व फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर धोखाधड़ी कर वादी से 12 लाख रुपये ले लेना व फ्लैट की फर्जी रजिस्ट्री करवाने से सम्बन्धित प्राप्त तहरीर की एंटी फ्रॉड सेल से जाँचोपरान्त थाना कौशाम्बी पर धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त क्रम में दिनांक 10.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त महेन्द्र सब्बरवाल उर्फ टोनी पुत्र आनन्द सिंह निवासी फ्लैट नं- 12 डी पाकेट बी-2 मयूर विहार फेस 3 दिल्ली उम्र करीब 59 वर्ष को अभियुक्त के मसकन से गिरफ्तार कर पंजीकृत अभियोग में धारा 120 बी भादवि की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र सब्बरवाल उर्फ टोनी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त ने अपनी परिचित गरिमा अग्रवाल पत्नी अभिषेक अग्रवाल नि0 ए 4/704 कृष्णा अपरा गार्डन थाना इन्दिरापुरम कमि0 गाजियाबाद के साथ मिलकर श्रीमती नेहा अग्रवाल पुत्री अनिल अग्रवाल नि0 फ्लैट सं0 – 606 रतन ज्योति अपार्टमेंमट वैशाली के फर्जी गिफ्ट डीड तैयार कर दिनेश कुमार राणा के नाम वैनामा 12 लाख रुपये में कराया था जबकि उपरोक्त फ्लैट की स्वामिनी नेहा अग्रवाल वैनामा के समय लंदन में थी तथा वर्तमान समय में भी अपने पति के साथ लंदन में है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
महेन्द्र सब्बरवाल उर्फ टोनी पुत्र आनन्द सिंह निवासी फ्लैट नं- 12 डी पाकेट बी-2 मयूर विहार फेस 3 दिल्ली उम्र करीब 59 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त महेन्द्र सब्बरवाल उर्फ टोनी उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी से फ्लैट का वैनामा कराने से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 58,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 10.04.2025 को आवेदक निशांत चौहान पुत्र स्व0 श्री करतार सिंह निवासी पता-5/131 प्रथम तल फ्लैट न0 3 सैक्टर-5 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद के द्वारा थाना कौशाम्बी पर वादी से ऑनलाइन स्टाक मार्केट में इंन्वेस्टमेन्ट के नाम पर ठगी की जाने के सम्बन्ध में साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद में धारा 318(2) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद में वादी के द्वारा धारा 318(2) बी0एन0एस0 व 66 डी आई0टी0 एक्ट पंजीकृत कराया गया था। जिस पर साइबर सेल थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.11.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 58,000/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 50,000/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

दिनांक 05.11.2025 को आवेदक उमेश गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी प्रशान्त विहार खोडा कॉलोनी गाजियाबद थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा थाना खोडा पर वादी से ऑनलाइन विपक्षी ध्रुव कुमार के खाते में ट्रान्सफर कर साइबर वित्तीय फ्रॉड कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त हुई।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद में वादी के द्वारा आवेदक को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से गलती से हुए

वित्तीय फ्राड की जानकारी देते हुए शिकायत प्राप्त हुई। जिस पर साइबर सेल थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वादी के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद आज दिनांक 11.11.2025 को वादी के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 50,000/- रुपये की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना खोडा पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा जन सहयोग से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में अपराधो की रोकथाम हेतु मार्किट व महत्वपूर्ण स्थानो पर 32 सीसीटीवी कैमरे लगवाये गये।

आज दिनांक 11.11.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारी गण द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे अपराध व अपराधियो की रोकथाम हेतु जन सहयोग से मार्किट / महत्वपूर्ण स्थानो पर 32 सीसीटीवी कैमरो को लगवाया गया है, इन कैमरो की सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से अटेच किया गया है ताकि मार्किट/ महत्वपूर्ण स्थानो पर चल रही गतिविधियों को थाना कार्यालय से मॉनिटर किया जा सके। सीसीटीवी कैमरो को लगवाये जाने पर जन मानस ने सहयोग प्रदान करते हुए अपने आपको गौरवान्वित महसूस किया है, साथ ही इस पहल से आम जनता मे सुरक्षा का माहौल भी व्याप्त हुआ है। सीसीटीवी कैमरो की मदद से निश्चित ही आपराधिक घटनाओ पर अंकुश लगेगा।